

संख्या: ए0-19011/04(01)/2010/स्था0-एक/14.66-71-

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग
स्थापना-एक अनुभाग

क0सं0 305 (द0), सेवा मवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 17 नवम्बर, 2017

कार्यालय आदेश

केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या: 11/03/2016-स्था0-1/3095 दिनांक: 23 अक्टूबर, 2017 के अनुपालन में, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली से जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, के0ज0आ0, वाराणसी होने के फलस्वरूप श्री रवीन्द्र सिंह, निदेशक ने दिनांक: 31 अक्टूबर, 2017 (अपराह्न) को अपने वर्तमान पद (निदेशक), के0ज0आ0 (मुख्यालय), नई दिल्ली से पदमुक्त हो चुके हैं।

कार्यमुक्ति की तिथि तक श्री रवीन्द्र सिंह, निदेशक द्वारा प्रस्तुत किये गये अदेय प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित (Recoverable Over payment of Transport Allowance, if any) शेष दर्शाये गये:-

1. TTA Advance of Rs. 1,60,000/- outstanding
2. Recoverable Over payment of Transport Allowance, if any.

बि.मि.2 कुमा.2 नंदा
17.11.2017
(शिशिर कुमार नंदा)
अवर सचिव

स्थापना-एक अनुभाग, के0ज0आ0

प्रतिलिपि -

- 1- वेतन एवं लेखाधिकारी, के0ज0आ0, नई दिल्ली (श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत अदेय प्रमाण पत्र दिनांक: 27/10/2017 की एक प्रति संलग्नित)।
- 2- अनुभाग अधिकारी, लेखा-तीन अनुभाग, के0ज0आ0, नई दिल्ली। श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत अदेय प्रमाण पत्र दिनांक: 27/10/2017 की एक प्रति संलग्नित करते हुए उनसे अनुरोध है कि वे श्री सिंह, निदेशक पर "अंतिम वेतन प्रमाण पत्र" (LPC) जारी करने का कष्ट करें।
- 3- श्री रवीन्द्र सिंह, निदेशक को उनके आवेदन पत्र दिनांक: 27/10/2017 के संदर्भ में।
- 4- कार्यालय आदेश फोल्डर।
- 5- स्था0-एक, के0ज0आ0 की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।

*मुखर्जी

